संख्या–849 / उन्नीस–1–2017–89 / 2001

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2017

विषयः– विज्ञापन मान्यता, वितरण प्रकिया एवं मार्गदर्शिका सिद्धांत–2003 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–155 / सू0एवंज0सं0वि0 (विज्ञा0)–9 / 2012, दिनांक 30 मई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञापन मान्यता, वितरण प्रकिया एवं मार्गदर्शिका सिद्धांत– 2003, जिसमें सूचना अनु0–1 के शासनादेश संख्या– 690 / उन्नीस–1–2005–89 / 2001, दिनांक 27.06.2005 के द्वारा संशोधन किया गया था, में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन
प्रस्तर–11(ग)–किताबत से प्रकाशित समाचार पत्रों को 0.22 से गुणा करके विज्ञापन माप निर्धारित किए जाने की व्यवस्था है, चूंकि किताबत एवं कम्प्यूटर कम्पोजिंग से ऑफसेट द्वारा प्रकाशित उर्दू समाचार पत्रों की फाण्टबाडी तुलनात्मक रूप से हिन्दी से बड़ी होती है अतः इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर कम्पोजिंग से आफसेट पर प्रकाशित उर्दू समाचार पत्रों को भी किताबत से प्रकाशित समाचार पत्रों के अनुरूप विज्ञापन माप दिए जाने का निर्णय लिया गया है।	**प्रस्तर–11(ग)**–उर्दू समाचार–पत्रों में जो किताबत से छपते हैं, उन्हें टेण्डर देने के लिए शब्दों की संख्या को 0.22 से गुणा किया जायेगा तथा कम्प्यूटर कम्पोजिंग से छपे पत्रों के लिए प्रस्तर–11 के "क" एवं "ख" को ही मानक माना जायेगा।

......2/

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.06.2005 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव

संख्या–849(1)/उन्नीस–1–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूचना उत्तर प्रदेश शासन।
3— अपर निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
4— संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5— विज्ञापन प्रभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
6— वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–7
7— गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 अशोक कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव